बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना

(प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास प्रभाग)

अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ पथ (राईडिंग रोड), शेखपुरा, पटना-800014
Mobile: 8986153142,E-mail-ccfhrdbihar@gmail.com

लिपिक एवं वनपाल के रिक्त पदों पर सेवा निवृत्त कर्मियों का संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना

बिहार राज्य अन्तर्गत लिपिक एवं वनपाल की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप क्षेत्रीय वन कार्यालयों के प्रबंधन में हो रही कठिनाइयों को तत्काल दूर करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10.07.2015 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुसूची क्रमांक–29 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक–3/एम–54/2015 सा०प्र०–5742, पटना–15, दिनांक–25.04.2016 के क्रम संख्या–5 में शामिल पदों पर कार्यहित में अल्पकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त संवर्गों के रिक्त पदों पर बिहार सरकार के सेवानिवृत्त हो चुके उक्त संवर्ग के इच्छुक कर्मियों से नियोजन हेतु संविदा के आधार पर निम्न शर्त्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किये जाते है :–

पदवार एवं कोटिवार रिक्तियों की संख्या :–

कोटि / पद	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग		*अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला (3 प्रतिशत के अनुसार)	कुल रिक्ति
	पु०	महि०	पु०	महि०	पु०	महि०	पु०	महि०	पु०	महि०		
लिपिक	04	03	06	03	01	00	07	03	05	02	01	35
वनपाल	11	07	05	03	01	00	06	03	04	02	01	43

1. यह नियोजन संविदा के आधार पर प्रारंभ में दो वर्ष के लिए किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा निर्धारित शर्त्तों के अधीन संविदा की अवधि को उभय पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
2. संविदा अवधि की समाप्ति अथवा रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा। इस हेतु अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्तियों को सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य वेतन/भत्ता या सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
4. संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में पुनः नियमितीकरण का कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। यह नियोजन सरकारी सेवा की किसी अवधि विस्तार के रूप में नहीं है।
5. नियोजन हेतु आवेदन समर्पित किये जाने का प्रारूप इस सूचना के परिशिष्ट 'क' में संलग्न है, जिसे आवेदक द्वारा भरा जायेगा।
6. आवेदन के साथ आवेदक को नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. आवेदक को आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरूद्ध :–

(i) कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा है,

(ii) कोई विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है,

(iii) कोई गंभीर आरोप विचाराधीन नहीं है, एवं

(iv) किसी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है अथवा न्यायालय में लंबित नहीं है और न हीं उन्हें किसी वाद में सजा हुई है।

(v) अभ्यर्थी को सेवाकाल में दिये गये दण्डों का विवरण (यदि कोई हो) :–

8. आरक्षण कोटि का दावा करने वाले आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र (सक्षम पदाधिकारी के स्तर से निर्गत) की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

9. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं होगी तो उनकी संविदा किसी भी समय रद्द की जा सकेगी।

10. दिनांक 30.06.2016 को आवेदक की उम्र सीमा 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (जन्म तिथि संबंधी प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)।

11. आवेदन पत्र वांछित कागजातों के साथ विहित प्रपत्र में **"मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास, बिहार"** कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग (राईडिंग रोड) शेखपुरा, पो०– भेटनरी कॉलेज, पटना, जिला–पटना, पिन कोड– 800014 के यहाँ निबंधित डाक द्वारा दिनांक–30.07.2016 के अपराह्न तक स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

12. आवेदन पत्र के लिफाफे के उपर बड़े–बड़े अक्षरों में **" लिपिक अथवा वनपाल (जो लागू हो) के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र"** लिखा होना चाहिए।

13. आवेदन–पत्र पूर्ण रूप से सही–सही भरा जायेगा। एक भी कंडिका खाली नहीं छोड़े। अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

5.7.16

(ए० के० प्रसाद)
मुख्य वन संरक्षक,
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास
बिहार, पटना।

परिशिष्ट 'क'

पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार के अंतर्गत लिपिक/वनपाल के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन–पत्र

पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो

1 आवेदक का नाम/पदनाम :–
(जिस पद से सेवानिवृत्त हुए)

2 आवेदित पद का नाम :–

3 प्रस्तावित पद पर नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या एवं दिनांक :–

4 (i) अभ्यर्थी (जिसका संविदा नियोजन प्रस्तावित है) का नाम एवं पदनाम (जिस पद से सेवा निवृत्त हुआ है) :–

(ii) उक्त पद पर कार्यानुभव की अवधि :–

5 (i) विभाग/कार्यालय का नाम, जहाँ से अभ्यर्थी सेवा निवृत्त हुआ है :–

(ii) विभाग/कार्यालय में कार्यानुभव की अवधि :–

6 विभाग में उसी पद पर पूर्व में संविदा के आधार पर कार्यानुभव की अवधि :–

7 (i) अभ्यर्थी की जन्म तिथि :–

(ii) सेवा निवृत्ति की तिथि :–

8 आरक्षण कोटि :–

9 सेवा निवृत्ति की तिथि को दिया गया अंतिम वेतन :–

10 पेंशन की स्थिति (PPO द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न हो) :–

11 (i) सेवा अवधि का कोई आरोप/विभागीय कार्यवाही/ निगरानी का मामला विचाराधीन हो तो उसका उल्लेख :–

(ii) अभ्यर्थी को पूरे सेवाकाल में दिये गये दण्डों का विवरण :–

12 सेवा निवृत्ति के बाद का कोई आपराधिक मामला विचाराधीन हो तो उसका उल्लेख करें :–

13 असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र की मूल प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

14 अभ्यर्थी पिछले पाँच वर्षों में कहाँ–कहाँ पदस्थापित रहे, पूर्ण ब्यौरा :–

15 अभ्यर्थी की पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/ कार्य मुल्यांकण प्रतिवेदन का विवरण :–

क्र.सं.	वर्ष	अभ्युक्ति
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

16 गृह जिला एवं स्थायी पता :–

17 पत्राचार का पता :–

18 मोबाईल /दूरभाष संख्या :–
(यह अनिवार्य है)

19 पदस्थापन्न हेतु तीन विकल्प :–

(अगर गृह जिला के इच्छुक हों तो उसे अपना पहला विकल्प के रूप में दें)

1.
2.
3.

नोट– (यद्यपि संभव होगा तो आवेदक के उपर्युक्त विकल्पों के अन्तर्गत संबंधित जिला में रिक्ति रहने पर पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी, तथापि उक्त विकल्प सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।)

उद्घोषणा :–

(क) एतद् द्वारा मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त विवरणी सही है। यदि उपर्युक्त सूचना गलत पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है।

(ख) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10.07.2015 की सभी शर्त्त मुझे मान्य हैं।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर